# न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

## मद्यनिषेध और उत्पाद वाद संख्या–01/2017–18

## राज्य बनाम कन्हैया कुमार सिंह

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|
| 27.7.2017 | आदेश (नीचे देखें) | |

**आदेश**

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–3477/सी0आर0, दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अपराधकर्मी कन्हैया कुमार सिंह, पिता–हरि सिंह, ग्राम–चकहुसैनी, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया को बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधिक मुकदमें मानसी थाना में दर्ज है:–

01. मानसी थाना कांड संख्या–125/2016 दिनांक 06.07.2016 धारा–47(ए) बिहार उत्पाद(अमेन्डमेंन्ट) एक्ट 2016 में आरोप पत्र सं0 184/2016 दिनांक 31.07.2016 समर्पित।

02. मानसी थाना कांड संख्या–08/2017 दिनांक 17.01.2017 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं0 17/2017 दिनांक 31.01.2017 समर्पित।

मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यो के द्वारा आदतन शराब कारोबारी है। चोरी छिपे शराब को रखने एवं बेचने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उक्त दो कांड में जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा कभी भी जमानत का दुरूपयोग शराब रखने या बेचने में नहीं किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया।

प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है एवं मानसी थाना अन्तर्गत निरन्तर शराब रखने एवं बेचने के कारण मधनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अर्न्तगत ये आदतन अपराधी की श्रेणी में आते है। इन्हें प्रथम बार मानसी थाना कांड संख्या–125/2016 में जुलाई 2016 में गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छुटने के पश्चात ये पुनः शराब के व्यापार में लगे रहे तथा पुनः मानसी थाना कांड संख्या–08/2017 के अर्न्तगत माह जनवरी 2017 में गिरफ्तार किए गए। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के कारोबार से संबंधित कृत्यों में लगे रह

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|

सकते है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंधन कर सकते है।

कन्हैया कुमार सिंह को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया है। उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथ्यों से परे अतः इस कारण से अस्वीकार्य है।

कन्हैया कुमार सिंह के कार्य वृत तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनके गतिशील रहने की स्थिति में मघनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66(3)(क) अंतर्गत आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्त्ता, खगड़िया मघनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अर्न्तगत कन्हैया कुमार सिंह पे0–हरि सिंह, साकिन–चकहुसैनी, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया का निर्दिष्ट दिनांक 30.07.2017 से अगले 6 (छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित करता हूँ

कन्हैया कुमार सिंह पे0–हरि सिंह साकिन–चकहुसैनी थाना–मानसी जिला खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.07.2017 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात 30.01.2018 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगें। बिहार मघनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत पारित इस आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में धारा 70 के अन्तर्गत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि कन्हैया कुमार सिंह की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले की सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थाना चित्रगुप्तनगर जिला खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्द्राज स्टेशन डायरी में किया जाएगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष मानसी/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया
/7/17

समाहर्त्ता,
खगड़िया
/7/17